महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद की 38वीं बैठक दिनांक 12.09.2008 का कार्यवृत

विद्या परिषद् की 38वीं बैठक दिनांक 12 सितम्बर, 2008 को मध्याह्न 12.00 बजे बृहस्पति भवन स्थित सभागार में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

उपस्थिति :

01. प्रो. भगीरथ सिंह, कुलपति, अध्यक्ष
02. प्रो.के.के. शर्मा, संकायाध्यक्ष (महाविद्यालय) संयोजक- प्राणिशास्त्र अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष- प्राणीशास्त्र, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
03. प्रो.बी.पी. सारस्वत, डीन (छात्र कल्याण), संयोजक- ई.ए.एफ.एम. अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष- वाणिज्य, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर
04. प्रो.आर.पी.जोशी, संकायाध्यक्ष (समाज विज्ञान), संयोजक- राजनीति शास्त्र एवं लोक प्रशासन अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष- राजनीतिशास्त्र एवं लोक प्रशासन, म.द.स.विश्वविद्यालय, अजमेर
05. प्रो.सर्वेश पालरिया, संकायाध्यक्ष (विज्ञान संकाय), संयोजक- रिमोट सेंसिंग एवं जियो इन्फॉरमेटिक्स अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष- रिमोट सेंसिंग एवं जियो इन्फॉरमेटिक्स, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर
06. प्रो. मनोज कुमार, संकायाध्यक्ष (प्रबन्ध अध्ययन), विभागाध्यक्ष- प्रबन्ध अध्ययन विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
07. श्रीमती माया बंसल, संकायाध्यक्ष (कला संकाय), प्राचार्या, कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा
08. श्री शेरसिंह दोचाणिया, संकायाध्यक्ष (वाणिज्य संकाय) प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
09. श्री सीताराम शर्मा, संकायाध्यक्ष (विधि संकाय) प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर
10. डॉ.हासो दादलानी, संयोजक-सिन्धी अध्ययन बोर्ड, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
11. डॉ.नरोत्तम जयपाल, संयोजक-समाजशास्त्र अध्ययन बोर्ड, राजकीय महाविद्यालय, सोजतसिटी (पाली)
11. प्रो.लक्ष्मी ठाकुर, संयोजक- जनसंख्या अध्ययन अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष -जनसंख्या अध्ययन, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर
12. प्रो.एस.के. माहना, संयोजक- वनस्पति शास्त्र अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष -वनस्पतिशास्त्र, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर
13. प्रो.जी.के. कोहली, संयोजक- गृहविज्ञान अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष- खाद्य एवं पोषण, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर
14. डॉ.आर.एस. अग्रवाल, संयोजक-एबीएसटी अध्ययन बोर्ड, एस.डी. राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर
15. डॉ.सीताराम गुप्ता, संयोजक-व्यावसायिक प्रशासन अध्ययन बोर्ड, उपाचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मालपुरा, टोंक
16. प्रो.के.जी. ओझा, संयोजक- रसायनशास्त्र अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष -रसायनशास्त्र, अनुप्रयुक्त रसायन, भैषेजिक रसायनशास्त्र, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर
17. डॉ.अजय सिंह रूहल, संयोजक-शारीरिक शिक्षा अध्ययन बोर्ड, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
18. डॉ.डी.पी. अग्रवाल, संयोजक-योग एवं मानवीय चेतना अध्ययन बोर्ड, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
20. डॉ.एन.एल. शर्मा, संयोजक-हिन्दी अध्ययन बोर्ड, के.डी.जैन कन्या महाविद्यालय, किशनगढ़
21. डॉ.अनुराग शर्मा, संयोजक-अंग्रेजी अध्ययन बोर्ड, डी.ए.वी. कॉलेज, अजमेर
22. डॉ.नीरज भार्गव, संयोजक-कम्प्यूटर साइंस अध्ययन बोर्ड, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर
23. डॉ.आशीष भटनागर, संयोजक-सूक्ष्मजीव विज्ञान अध्ययन बोर्ड, मदस.विश्वविद्यालय, अजमेर
24. प्रो.एस.एन.सिंह, कार्यवाहक विभागाध्यक्ष- इतिहास विभाग, म.द.स.विश्वविद्यालय,अजमेर
25. श्रीमति राजेश्वरी माथुर, प्राचार्या, राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़
26. श्री विजय कुमार वैद्य, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, माण्डलगढ़ (भीलवाड़ा)
27. प्रो.एल.सी. खत्री, भूगोल विभाग, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर
28. कुलसचिव- सदस्य सचिव, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर

<u>निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके</u>

01. डॉ. वी.जी. जाधव, संकायाध्यक्ष (शिक्षा), संयोजक-शिक्षा अध्ययन बोर्ड, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
02. प्रो. एम.एल.छीपा, संयोजक- अर्थशास्त्र अध्ययन बोर्ड, म.द.स.विश्वविद्यालय,अजमेर
03. श्रीमती पुष्पा गुप्ता, संयोजक-संस्कृत अध्ययन बोर्ड, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
04. डॉ. शांतीलाल बिहाणी, संयोजक-इतिहास अध्ययन बोर्ड, राजकीय महाविद्यालय, शाहपुरा (भीलवाड़ा)
05. प्रो. के.सी. शर्मा, संयोजक -पर्यावरण अध्ययन बोर्ड, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर
06. श्री जी.एस. मित्तल, संयोजक- भूगर्भशास्त्र अध्ययन बोर्ड, राजकीय बांगड़ कॉलेज, डीडवाना
07. डॉ. विनीता माथुर, संयोजक-संगीत अध्ययन बोर्ड, सावित्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर
08. डॉ. लक्ष्मीकान्त व्यास, संयोजक-राजस्थानी अध्ययन बोर्ड, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
09. डॉ. अशरद हसन, संयोजक-उर्दू, फारसी एवं अरबी अध्ययन बोर्ड, राजकीय महाविद्यालय, टोंक ।
10. डॉ. उमा जोशी, संयोजक-मनोविज्ञान अध्ययन बोर्ड, सोफिया कॉलेज, अजमेर
11. डॉ. दिनेश कुमार मिश्रा, संयोजक-जीव विज्ञान एवं जैन दर्शन अध्ययन बोर्ड, राजकीय बांगड़ कॉलेज, पाली
12. डॉ. राम जायसवाल, संयोजक-ड्रॉइंग एण्ड पेन्टिंग अध्ययन बोर्ड, रामगंज, अजमेर
13. डॉ. इन्दू सक्सेना, संयोजक- भौतिकशास्त्र अध्ययन बोर्ड, राजकीय महाविद्यालय, जालोर
14. डॉ. राजकुमारी जैन, संयोजक - दर्शनशास्त्र अध्ययन बोर्ड, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
15. श्री मदन लाल पीतलिया, संयोजक - विधि अध्ययन बोर्ड, राजकीय विधि महाविद्यालय, भीलवाड़ा
16. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड़, राजस्थान, अजमेर

<u>विशेष आमंत्रित</u>

01. डॉ0 जगराम मीणा, परीक्षा नियंत्रक, म द स विश्वविद्यालय, अजमेर
02. श्री आर.के. व्यास - उपकुलसचिव (शैक्षणिक-।।) म द स विश्वविद्यालय, अजमेर
03. डॉ. एच.एस.यादव - उपकुलसचिव (परीक्षा) म द स विश्वविद्यालय, अजमेर
04. श्री जी.एन. माहेश्वरी - सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक-।।।), म द स विश्वविद्यालय, अजमेर

प्रो. एम.एल. छीपा, डॉ. वी.जी. जाधव, प्रो. के.सी. शर्मा एवं डॉ. राम जयसवाल ने बैठक में उपस्थित न हो पाने की पूर्व सूचना दे दी थी। श्रीमती पुष्पा गुप्ता एवं डॉ. उमा जोशी ने संयोजक पद के दायित्व से मुक्त होने का निवेदन किया हुआ है। शेष सदस्यों से कोई सूचना नहीं मिली। निर्णय किया कि, प्राधिकरण की बैठक में सदस्य बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित न रहें। पूर्व सूचना दिए बिना निरन्तर दो बैठकों में, यदि कोई सदस्य अनुपस्थित रहते हैं, तो कुलपति उनकी सदस्यता समाप्त करने पर विचार करें।

बैठक की कार्यसूची पर विचार-विमर्श करने से पूर्व कुलपति महोदय ने सदस्यों को अवगत कराया कि विद्या परिषद् की बैठक का आयोजन 30 अगस्त, 2008 को इसलिए नहीं हो सका कि, दिनांक 27 अगस्त, 2008 से 4 सितम्बर, 2008 के मध्य 11वीं पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में यू.जी.सी. की विज़िटिंग टीम का दौरा निश्चित हो गया था। विज़िटिंग टीम द्वारा विश्वविद्यालय के अत्यधिक सीमित संख्या में शिक्षकों के होने के बावजूद भी शैक्षणिक एवं शोध के जो कार्य किए जा रहे हैं, उसकी प्रशंसा की और यहाँ के शिक्षकों के कार्य को विश्वस्तरीय कार्य भी बताया। परिषद् के सदस्यों ने इस सूचना का करतल ध्वनि से स्वागत किया।

मद	विवरण	अनुभाग/ विभाग
मद सं. 1	विद्या परिषद् की दिनांक 16-05-2008 को सम्पन्न हुई 36वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना। उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्र. एफ-13( )/शैक्षणिक-I/ मदसविवि/2008/29230-294 दिनांक 2.6.2008 को प्रेषित की गई थी।	**शैक्षणिक**
निर्णय	**विद्या परिषद की बैठक दिनांक 16.05.2008 के कार्यवृत्त की पुष्टि इस उल्लेख के साथ की गई कि, कार्यवृत्त में विद्या परिषद् की बैठक में सम्मिलित होने हेतु सदस्यों को रू.100/- सिटिंग अलाउन्स के रूप में देय होगा। यह निर्णय अंकित माना जाए।**	
मद सं. 2	विद्या परिषद् की दिनांक 16-07-2008 को सम्पन्न हुई 37वीं (विशेष) बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना। उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्र. एफ-13( )/शैक्षणिक-I/ मदसविवि/2008/35413-60 दिनांक 25.7.2008 को प्रेषित की गई थी। इस कार्यवृत्त पर निम्नांकित सदस्यों से प्राप्त प्रेक्षणों पर भी विचार करना :- (i) प्रो. एस के माहना - **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-I)** (ii) डॉ. आशीष भटनागर - **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-II)**	**शैक्षणिक**
निर्णय	**विद्या परिषद की बैठक दिनांक 16.07.2008 के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में प्राप्त प्रेक्षणों पर विचार कर कार्यवृत्त की पुष्टि निम्नांकित उल्लेख के साथ की :-**	**शैक्षणिक**
	<u>निर्णय संख्या 12(v)</u> का संशोधन निम्नानुसार लिखा जावे : **नियम संख्या 3 की अन्तिम पंक्ति "on the proposal of departmental council or the Head of the Department where there is no departmental council, the course shall be approved by the University authorities and statutory bodies" पंक्ति लिखी जाए।**	**विवले**
	<u>निर्णय संख्या 12(vii)</u> का संशोधन निम्नानुसार लिखा जावे : **नियम संख्या 5(ii) यह लिखा जाए कि "to prepare the panel of visiting faculty from outside Ajmer and get it approved from Hon'ble Vice Chancellor."**	**विवले**
मद सं. 3	दिनांक 16-05-2008 को सम्पन्न विद्या परिषद् की 36वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना।	**शैक्षणिक**

निर्णय

विद्या परिषद् की 36वीं बैठक दिनांक 16.05.2008 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन कर निम्न प्रेषणों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया :

शैक्षणिक

मद सं.2- निर्णय सं.5(घ) पर प्रेक्षण :

परीक्षा

परीक्षा नियन्त्रक ने विद्या परिषद् को सूचित किया कि वर्ष 2007-08 की परीक्षाओं में अध्ययन बोर्डों के जिन संयोजकों द्वारा जिन प्रश्न-पत्रों का निर्माण कराया गया था, उसके लिए मौखिक आदेश कार्यवाहक कुलपति से प्राप्त किए गए थे। मौखिक आदेशों की पुष्टि नहीं कराई जा सकी। परीक्षा नियन्त्रक के इस स्पष्टीकरण को अभिलिखित करते हुए विद्या परिषद् ने निर्णय किया, कि भविष्य में मौखिक आदेशों के आधार पर प्रश्न-पत्रों का निर्माण अध्ययन बोर्डों/पाठ्यक्रम समितियों के संयोजकों से नहीं कराया जाए। यदि कोई विशेष परिस्थिति हो, तो पत्रावली पर वह विशेष परिस्थिति परीक्षा नियन्त्रक द्वारा स्पष्ट अंकित करते हुए कुलपति महोदय के लिखित आदेश प्राप्त करके प्रश्न-पत्र निर्माण संयोजक से कराएँ।

निर्णय सं. 12 पर प्रेक्षण

शैक्षणिक-।।

संस्तुति की, कि यदि महाविद्यालय की सम्बद्धता के प्रकरण में विलम्ब विश्वविद्यालय के स्तर पर होता है और महाविद्यालय का प्राचार्य आवेदित सम्बद्धता के शुल्क की राशि का समायोजन करने के लिए प्रार्थना करते हैं तथा उस सत्र में छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता है तो प्रकरण की गुणवत्ता के आधार पर सम्बद्धता शुल्क की राशि का समायोजन करने अथवा पुनः लौटाने का निर्णय करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

निर्णय सं. 22 पर प्रेक्षण

शैक्षणिक-।

समिति के सदस्य सचिव ने समिति की बैठक में हुई कार्यवाही से परिषद् को अवगत कराया। अध्ययन बोर्डों के गठन को ध्यान में रखते हुए विद्या परिषद् ने अन्तरिम संस्तुति की, कि कुलपति महोदय निम्नांकित मानदण्डों पर अध्ययन बोर्ड का गठन करें :

1. तीन स्नातकोत्तर शिक्षक
2. दो स्नातक शिक्षक
3. दो बाह्य सदस्य

स्नातकोत्तर शिक्षक एवं स्नातक शिक्षक एक ही महाविद्यालय से न हों। जिस महाविद्यालय से इन शिक्षकों का मनोनयन किया जाता है, उस महाविद्यालय से उस विषय के वरिष्ठ शिक्षक का मनोनयन किया जाए।

विद्या परिषद् ने यह भी संस्तुति की, कि निर्णय संख्या 22 में गठित समिति में निम्नांकित दो सदस्य और सम्मिलित किए जाएँ :

प्रो. के के शर्मा

प्रो. लक्ष्मी ठाकुर

समिति अपनी बैठक की संस्तुतियाँ शीघ्र प्रस्तुत करे। समिति की संस्तुतियों को प्रबन्ध बोर्ड के निर्णयार्थ विद्या परिषद् की ओर से रखे जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

मद सं. 4 दिनांक 16-07-2008 को सम्पन्न विद्या परिषद् की 37वीं (विशेष) बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना। **शैक्षणिक**

निर्णय **विद्या परिषद् की 37वीं बैठक दिनांक 16.07.2008 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन कर निम्न प्रेषणों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया :**

<u>निर्णय सं.9 पर प्रेक्षण</u> :

(i) **Reg. 3 में रू.10,000/- के बाद में "**per course**" जोड़ा जाए।** **शैक्षणिक-।।**

(ii) **नया Reg. 9 निम्नानुसार अनुमोदित किया :** **शैक्षणिक-।।**

"The request for increase of seats for B.A., B.Sc. and B.Com. courses may be considered for increase in the seats for a section consisting of 80 students and in that case Principal of the college concerned shall make admission only after depositing a fee @ 100% amount of the fee of the affiliation fee prescribed to the university as fee for increae of the seats."

(iii)**सीटों के आवण्टन के सम्बन्ध में महाविद्यालय के संसाधनों के मूल्य का प्रपत्र प्रस्तावित करने हेतु गठित समिति की दिनांक 13.8.2008 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों को विद्या परिषद् ने स्वीकार करने की अनुशंषा की। (परिशिष्ट-।)** **शैक्षणिक-।।**

मद सं. 5 माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेश का अभिलेखन एवं पुष्टि करना :- **शैक्षणिक**

(1) <u>प्रतिवेदन है कि,</u> विश्वविद्यालय अधिनियम के परिनियम की धारा 2(1)2 के अन्तर्गत, विद्या परिषद की अनुशंषा संख्या 21 दिनांक 16.5.2008 सपठित प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 3 दिनांक

11.6.2008 के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा निम्नलिखित संकायों के संकायाध्यक्षों की नियुक्ति के आदेश प्रदान किए गए। तद्नुसार, नियुक्त संकायाध्यक्षों के नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय आदेश प्रसारित किए गए हैं :

क्र. सं.	**नियुक्त संकाय अध्यक्ष का नाम**	**संकाय एवं अवधि**	**कार्यालय आदेश क्रमांक एवं दिनांक**
1.	डॉ. शेर सिंह दौचाणिया, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर	वाणिज्य संकाय दिनांक 8.7.2008 से 2 वर्ष अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो	एफ.13(9)मदसवि/शैक्ष/ 33119 दिनांक 8.7.2008 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-III)**
2.	प्रो. वी.जी. जाधव प्राचार्य, आई.ए.एस.ई., अजमेर	शिक्षा संकाय दिनांक 8.7.2008 से 2 वर्ष अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो	एफ.13(9)मदसवि/शैक्ष/ 33119 दिनांक 8.7.2008 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-III)**
3.	श्री सीताराम शर्मा प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय,, अजमेर	विधि संकाय दिनांक 8.7.2008 से 2 वर्ष अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो ।	एफ.13(9)मदसवि/शैक्ष/ 33119 दिनांक 8.7.2008 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-III)**
4.	प्रो. आर.पी. जोशी राजनीति विज्ञान विभाग, मदसविवि, अजमेर	समाज विज्ञान दिनांक 11.08.2008 से दो वर्ष अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो	एफ.13(9)मदसवि/शैक्ष/ 40000 दिनांक 11.08.2008 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-IV)**
5.	प्रो. मनोज कुमार प्रबन्ध अध्ययन विभाग, मदसविवि, अजमेर	प्रबन्ध अध्ययन दिनांक 11.08.2008 से 2 वर्ष अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो ।	एफ.13(9)मदसवि/शैक्ष/ 40000 दिनांक 11.08.2008 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-IV)**

निर्णय **माननीय कुलपति महोदय के उक्त आदेशों की पुष्टि की गई।**

(2) <u>प्रतिवेदन है कि,</u> विश्वविद्यालय अधिनियम के परिनियम की धारा 2(1)2 के अन्तर्गत, विद्या परिषद की अनुशंषा संख्या 20 दिनांक 16.5.2008 सपठित प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 3 दिनांक 11.6.2008 के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रो. के.के. शर्मा, विभागाध्यक्ष, प्राणिशास्त्र, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर को कार्यालय आदेश सं.34305-568 दिनांक 15.7.2008 द्वारा दिनांक से दो वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो महाविद्यालयों का संकायाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। **शैक्षणिक-।**

निर्णय **माननीय कुलपति महोदय के उक्त आदेशों की पुष्टि की गई।**

(3) <u>प्रतिवेदन है कि,</u> विश्वविद्यालय अधिनियम के परिनियम की धारा 2(1)2 के अन्तर्गत, विद्या परिषद की अनुशंषा संख्या 20 दिनांक 16.5.2008 सपठित प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 3 दिनांक 11.6.2008 के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रो. एम. एल. छीपा, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर **शैक्षणिक-।**

को कार्यालय आदेश क्र. एफ.13( )शैक्ष/मदसवि/2008/ 40529 दिनांक 11.8.2008 द्वारा 2 वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, स्नातकोत्तर अध्ययन का संकायाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ- V)**

निर्णय **दो वर्ष की अवधि को एक वर्ष की अवधि पढ़ा जाए। शेष आदेश की पुष्टि की गई।**

मद सं.6 लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी अध्ययन बोर्ड की बैठक की संस्तुतियों पर विचार करना। **शैक्षणिक-। एवं ।।।**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ- VI पर प्रस्तुत संस्तुतियों को स्वीकार किया।**

मद सं.7 व्यावसायिक प्रशासन अध्ययन बोर्ड की संस्तुतियों पर विचार कर निर्णय करना। **शैक्षणिक-। एवं ।।।**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ- VII पर प्रस्तुत संस्तुतियों को स्वीकार किया।**

मद सं.8 जो पाठ्यक्रम जितनी अवधि का है, अध्ययन बोर्ड द्वारा वह पाठ्यक्रम एक बार में ही बनाने पर विचार करना। **शैक्षणिक-।।।**

निर्णय **निर्णय किया कि, अध्ययन बोर्डों को तद्नुसार पाठ्यक्रम प्रस्तावित करने हेतु सूचित किया जाए।**

मद सं.9 अध्यादेश 157-A.7(i) को निम्नानुसार संशोधित करना : **शैक्षणिक-। व परीक्षा**

Existing provision	Proposed provision
In case a candidate does not submit his/her original marksheet alongwith the application form for re-evaluation, his/her application shall stand rejected.	A candidate should submit his/her original marksheet to the University alongwith the application form for re-evaluation failing which the application will not be entertained. However, if the original marksheet is lost or has been destroyed, a second original marksheet can be had on production of an affidavit on stamp paper of Rs.10/-. Issued under the signature of the Ist Class Magistrate by the applicant concerned alongwith the certified copy of the FIR lodged in the relevant Police Station to the effect that original mark-sheet of the candidate has been lost. A fee of rupees 300/- shall be charged for issue of the second original marksheet and that

	should be remitted to the Registrar alongwith the affidavit for the purpose. The second original marksheet may be issued by the Controller of Examination mentioning on that marksheet that "the original marksheet of the candidate is reported to have been lost or destroyed and that original marksheet has been treated to have ceased for all the purposes".

निर्णय **उपर्युक्त अध्यादेश में प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करने की अनुशंषा की।**

मद सं.10 अध्यादेश 157-A.6.B(i) को निम्नानुसार संशोधित करना : **शैक्षणिक-। व परीक्षा**

Existing provision	Proposed provision
O.157-A.6B(i) In case the marks are increased or decreased upto 20% of the maximum marks consequent upon revaluation, full marks secured shall be counted for working out the result. But marks can be decreased to the extent that the result of the candidate will not affected advarsely. The division of the candidate will also n ot be changed adversely and the candidate will not be declared from pass to fail/supplementary. In such cases the original marks will remain unchanged.	O.157-A.6.B(i) Consequent upon re-evaluation, if the marks are decreased upto 5% of the maximum marks, the result shall remain unchanged, however, marks upto 25% of the maximum marks are increased the actual marks secured shall be counted for working out the result. However, further, the decrease in marks more than 5% shall be subject to the limit that the result of the candidate should not affect adversely. Owing to such decrease in marks, the division of the candidate will remain unchanged and the candidate will not be declared from pass to supplementary or fail and supplementary to fail.
O157-A.6B(iv) If the difference of the awards of the revaluation and the original examiner is more than 20% of maximum marks the answer books shall be referred to third examiner and average of the two nearest awards shall be taken into account and the result will be worked out and declared accordingly.	O157-A.6B(iv) The number 20% may be substituted by 25%. Rest unchanged.

निर्णय **उपर्युक्त अध्यादेशों में प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने की अनुशंषा की। यह भी अनुशंषा की, कि** O.157–A 1. **में जहाँ-जहाँ 50% लिखा है, उसे '1/3' पढ़ा जाए।**

मद सं.11 वर्ष 2009 की निम्नांकित संकायों की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं पर परीक्षार्थी के रोल नंबर की बारकोडिंग करना और उसी प्रक्रिया से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करके परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाने पर विचार करना : **परीक्षा/ गोपनीय**

वाणिज्य, वैदिक अध्ययन, पत्रकारिता और जनसंचार, प्रबन्ध अध्ययन।

निर्णय **निर्णय किया कि, उपर्युक्त संकायों की उत्तर पुस्तिकाओं में रोल नम्बर की बारकोडिंग कर दी जाए।**

मद सं.12 वर्ष 2008-09 की विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों में तीन प्रकार के प्रश्न यथा- अति लघु, लघु और निबन्धात्मक पूछे जाने पर विचार करना। साथ ही, एक प्रश्नपत्र तीन परीक्षकों से बनाए जाने पर विचार करना। **गोपनीय**

निर्णय **निर्णय किया कि, वर्ष 2008-09 की बी.ए., बी.एससी. व बी.कॉम. पाठ्यक्रमों की प्रथम खण्ड की परीक्षा में अतिलघु, लघु और निबन्धात्मक प्रश्न पूछे जाएँ। प्रश्न-पत्र दो के बजाय तीन परीक्षकों से बनवाया जाए तथा इन परीक्षाओं में पूरक उत्तर-पुस्तिका देने की व्यवस्था समाप्त कर दी जाए। इस निर्णय की सूचना सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों को अविलम्ब दे दी जाए। प्रश्न-पत्र निर्माताओं के लिए तद्नुसार आवश्यक निर्देश भेजे जाने हेतु एवं आदर्श प्रश्न-पत्र तैयार किए जाने हेतु निम्नांकित समिति का गठन किया जाए :** **परीक्षा**

प्रो. आर.पी. जोशी - संकायाध्यक्ष (समाज विज्ञान) संयोजक
प्रो. के.के. शर्मा - संकायाध्यक्ष (महाविद्यालय)
प्रो. एस.एन. सिंह - विभागाध्यक्ष (इतिहास)
प्रो. बी.पी. सारस्वत - डीन (छात्र कल्याण)
श्री जी.पी. श्रीवास्तव - सहा. कुलसचिव, गोपनीय - सदस्य सचिव

मद सं.13 विद्या परिषद् की निर्णय सं.16 दिनांक 16.5.2008 द्वारा स्वयंपाठी छात्रों के प्रायोगिक कार्यों एवं प्रायोगिक परीक्षाओं की समस्याओं के सम्बन्ध में प्रो.आर.पी.जोशी के संयोजकत्व में गठित समिति की दिनांक 11.8.2008 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों पर विचार करना। **परीक्षा**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ-VIII पर प्रस्तुत संस्तुतियों को स्वीकार किया।**

मद सं.14 विद्या परिषद् की निर्णय सं.15 दिनांक 16.5.2008 द्वारा आन्तरिक परीक्षा प्रणाली में 20% अंकों के सम्बन्ध में प्रो. के.सी. शर्मा के संयोजकत्व में गठित समिति की बैठक दिनांक 27.7.2006 की अनुशंषाओं पर पुनर्विचार कर संस्तुतियाँ देने हेतु समिति की बैठक दिनांक 12.8.2008 की अनुशंषाओं पर विचार करना। **परीक्षा**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ-IX पर प्रस्तुत समिति की संस्तुतियों को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया कि 20% अंक आन्तरिक मूल्यांकन प्रबन्ध अध्ययन विभाग और उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय प्रबन्ध केन्द्र के पाठ्यक्रमों को छोड़कर परिसर स्थित अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जहाँ सैमेस्टर प्रणाली लागू हैं, प्रवृत्त कर दिया जाए, जिसमें 10% अंक लिखित परीक्षा, 5% अंक सेमीनार और 5% अंक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए रखे जाएँ।**

मद सं.15 विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 22(ख) के अन्तर्गत परीक्षकों की नियुक्ति और उनके निबन्धन एवं शर्तों को अवधारित करने हेतु प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तावित नए अध्यादेश 98 पर विचार करना। **शैक्षणिक**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ-X पर प्रस्तुत नए अध्यादेश 98 पर विचार करने हेतु निम्नांकित समिति का गठन किया गया, जो अपनी संस्तुतियाँ 30 सितम्बर तक कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी और संस्तुतियाँ विद्या परिषद् की और से कुलपति महोदय द्वारा स्वीकार कर प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जा सकेंगी।**

प्रो. के.के. शर्मा- संयोजक
श्री सीताराम शर्मा
डॉ. आशीष भटनागर, विभागाध्यक्ष (सूक्ष्मजीव विज्ञान)
श्री बलवंत सिंह, अति. कुलसचिव
डॉ. जगराम मीणा, परीक्षा नियन्त्रक
श्री जी एन माहेश्वरी- सहा.कुलसचिव, शैक्ष.-।।। - सदस्य सचिव

मद सं.16 पूरक परीक्षा का आयोजन केवल भाग-।।। की परीक्षाओं के साथ किए जाने पर विचार करना। **परीक्षा**

निर्णय **निर्णय किया कि, बी.ए., बी.एससी. व बी.कॉम. पाठ्यक्रमों की प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं में पूरक घोषित किए गए विद्यार्थियों के लिए पूरक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जावे और उन्हें अगली कक्षा की मुख्य परीक्षा के साथ ही पूरक प्रश्नपत्र की परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। केवल अन्तिम वर्ष की मुख्य परीक्षा के बाद पूरक परीक्षा का**

आयोजन किया जाए। ऐसे छात्र का अन्तिम वर्ष का परीक्षा परिणाम तब तक घोषित नहीं किया जाए, जब तक वह प्रथम और द्वितीय वर्ष के अनुत्तीर्ण प्रश्न-पत्रों को उत्तीर्ण नहीं कर लेता।

अतः तद्नुसार विश्वविद्यालय के अध्यादेश 193 में आवश्यक संशोधन का प्रारूप बनाकर विद्या परिषद् की ओर से सीधे प्रबन्ध बोर्ड में अनुमोदनार्थ रखे जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

मद सं.17 विभागीय शोध अध्ययेत्तावृत्ति और विश्वविद्यालय शोध अध्ययेत्तावृत्ति के लिए विनियम निर्धारित करना। **शोध**

निर्णय **निर्णय किया कि, दो प्रकार की शोध अध्ययेत्तावृति विश्वविद्यालय में प्रवृत्त की जाए। एक, विश्वविद्यालय शोधवृत्ति राशि रू.3000 प्रतिमाह और दूसरी विभागीय शोध अध्ययेत्तावृत्ति राशि रू.2000 प्रतिमाह। विश्वविद्यालय अध्ययेत्तावृति संकायवार देय होगी। परिषद् ने दोनों प्रकार की अध्ययेत्तावृत्ति के अध्यादेश बनवाकर प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।**

मद सं.18 विश्वविद्यालय परिसर एव विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों, अधिकारियों, छात्रों एवं कर्मचारियों को शैक्षणिक गतिविधियों एवं शैक्षणेत्तर गतिविधियों में अर्जित उपलब्धियों के लिए **'अचीवर्स क्लब'** का गठन किए जाने पर विचार करना। **शैक्षणिक-।।**

निर्णय **उपर्युक्तानुसार 'अचीवर्स क्लब' का गठन किए जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।**

मद सं.19 राज्य स्तरीय गणतन्त्र दिवस समारोह के अजमेर में आयोजन के अवसर पर दैनिक नवज्योति समाचार-पत्र द्वारा *''महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में कप्तान दुर्गाप्रसाद चौधरी के नाम से पत्रकारिता शोध पीठ की स्थापना अथवा विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग का नामकरण कप्तान दुर्गाप्रसाद चौधरी पत्रकारिता संस्थान के नाम के रूप में करने''* के अनुरोध पर माननीया मुख्यमंत्री महोदया की घोषणा पर समयबद्ध अमल करने हेतु माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार गठित परामर्शदात्री समिति की दिनांक 19 फरवरी, 2008 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसाओं पर विचार करना। **शैक्षणिक-।**

निर्णय **निर्णय किया कि, विश्वविद्यालय के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग का नाम 'कप्तान दुर्गाप्रसाद चौधरी पत्रकारिता संस्थान' कर दिया जाए। कार्यसूची के परिशिष्ठ-XI पर प्रस्तुत समिति की संस्तुतियों में से संस्तुति संख्या 8 को छोड़कर शेष संस्तुतियों को स्वीकार किया।**

मद सं.20 वर्ष 2009 की एम.फिल. की परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन दो के स्थान पर केवल एक परीक्षक से कराए जाने एवं एम.फिल. के छात्रों को भी पुनर्मूल्यांकन की सुविधा प्रदान किए जाने पर विचार करना। **गोपनीय**

निर्णय **निर्णय किया कि, वर्तमान व्यवस्था ही जारी रखी जाए।**

मद सं.21 विश्वविद्यालय के छात्रों को विभिन्न प्रकार की सूचना उनके कॅरियर एवं व्यक्तित्व विकास के लिए परामर्श प्रदान करने हेतु सेवानिवृत्त विशेषज्ञ को संविदा पर छात्र परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किए जाने पर विचार करना। **संस्थापन**

निर्णय **उक्त प्रस्ताव स्वीकार किया।**

मद सं. 22 सत्र 2008-09 की मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा कलैण्डर पर विचार करना। **परीक्षा**

निर्णय **सत्र 2008-09 का परीक्षा कलैण्डर परिशिष्ठ-।। के अनुसार स्वीकार किया गया।**

मद सं. 23 वर्ष 1992 से 1996 तक की पी.जी. डिप्लोमा इन क्रिमीनोलॉजी की 22 उपाधियाँ और पी.जी.डिप्लोमा इन लेबर लॉ की 179 उपाधियाँ नहीं लिखी जा सकी हैं, क्योंकि उस समय प्रवृत्त हस्त-निर्मित खाली उपाधि पत्रक मै. कम्प्यूटर कंसलटैन्सी के पास अब उपलब्ध नहीं है और न ही विश्वविद्यालय में उपलब्ध हैं। अतः उक्त डिप्लोमाओं की कुल 201 उपाधियों को वर्तमान में प्रचलित द्विभाषी उपाधि पत्रक पर लिखवाकर जारी किए जाने पर विचार करना। **उपाधि**

निर्णय **उक्त प्रस्ताव स्वीकृत।**

मद सं. 24 सत्र 2008-09 में नवीन सम्बद्धता के लिए निर्धारित तिथि तक निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मालपुरा, टोंक द्वारा आवेदन प्रस्तुत न करने, किन्तु 31 दिसम्बर, 2007 से पूर्व उक्त प्रयोजनार्थ निर्धारित सम्बद्धता शुल्क की राशि विश्वविद्यालय में जमा करा देने के कारण प्राचार्य से निर्धारित आवेदनपत्र में आवेदन मँगाए जाने पर आवेदन दिनांक 25 जुलाई, 2008 को प्राप्त होने के कारण उक्त आवेदन को सत्र 2008-09 की सम्बद्धता के लिए विश्वविद्यालय के अध्यादेश 51(1) एवं विद्या परिषद की निर्णय संख्या 15 दिनांक 16.7.2008 में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विचार कर निर्णय करना। **शैक्षणिक-।।**

निर्णय **निर्णय किया कि, अपवाद स्वरूप संदर्भित आवेदनपत्र स्वीकार कर लिया जाए, किन्तु, सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को चेतावनी दी जाए कि वे भविष्य में निर्धारित आवेदनपत्र में निर्धारित समय में ही आवेदन प्रस्तुत करें।**

मद सं. 25 विश्वविद्यालय के निम्नलिखित विभागों में सेवानिवृत्त प्रोफेसर/स्नातकोत्तर प्राचार्य को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विज़िटिंग प्रोफेसर को देय पारिश्रमिक और सुविधाओं के अनुरूप प्रावधानों पर निश्चित अवधि के **संस्थापन**

लिए विज़िटिंग प्रोफेसर नियुक्त किए जाने पर विचार करना :

1. विधि विभाग

2. शिक्षा विभाग

3. भारतविद्या अध्ययन संकुल, संस्कृत, हिन्दी एवं अँग्रेजी विषयों के लिए।

निर्णय **निर्णय किया कि, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों से सेवानिवृत्त शिक्षकों को विश्वविद्यालय की सेवाओं में लेने हेतु जारी कार्यालय आदेश क्र. एफ.1( ) मदसवि/संस्था/2007/2622-43 दिनांक 28.9.2007 परिशिष्ट-।।। में वर्णित शर्तों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विजिटिंग प्रोफेसर को देय सुविधाओं के प्रावधानों का आवश्यकतानुसार समावेश करके प्रस्ताव प्रबन्ध बोर्ड की स्वीकृति हेतु भेज दिया जाए।**

मद सं.26 अध्यादेश 256-0(8) में यह व्यवस्था किए जाने पर विचार करना कि यदि पूरक परीक्षा के लिए पात्र कोई छात्र अपने आवेदनपत्र में ऐसे विषय की परीक्षा के लिए भी आवेदन कर देता है जिसमें वह उत्तीर्ण है और उसके अंक 48 प्रतिशत से अधिक हैं और विश्वविद्यालय द्वारा अध्यादेश 256-0(8) के प्रावधानों के विपरीत उसे उत्तीर्ण प्रश्नपत्र में बैठने की अनुमति दे दी जाती है तो उस मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण उस विषय का परीक्षा परिणाम ही मान्य होगा। **परीक्षा**

निर्णय **निर्णय किया कि, परीक्षा नियन्त्रक यह आश्वस्त कर लें कि अध्यादेश 256-0(8) प्रभावशील है अथवा प्रकरण अध्यादेश 256C में निष्पादनीय है। यदि कोई छात्र एलएल.बी. प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष की पूरक परीक्षा में उस प्रश्नपत्र में प्रविष्ठ हुआ हो, जिस प्रश्नपत्र की मुख्य परीक्षा में वह छात्र उत्तीर्ण था और उसके प्राप्तांक 48 प्रतिशत से अधिक थे, तो छात्र की प्रार्थना पर विचार करके छात्र की पूरक परीक्षा की उस प्रविष्ठि को निरस्त करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया। तद्नुसार, भविष्य के लिए अध्यादेश 256 C(1) में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे।**

मद सं.27 विद्या परिषद् की निर्णय संख्या 2 दिनांक 16.5.2008 पर निर्णय संख्या 6 पर प्रेक्षण के अन्तर्गत परीक्षा विभाग के स्तर पर होने वाली त्रुटियों के लिए दण्ड का प्रावधान बनाए जाने हेतु गठित समिति की दिनांक 25.7.008 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों पर विचार करना। (कार्यसूची का परिशिष्ट-XII) **परीक्षा**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ट-XII पर प्रस्तुत समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया।**

मद सं.28 विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं की विज्ञान, तकनीक, पर्यावरण, उद्यमिता, मानव अधिकार, नारी सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय, पर्यटन, विरासत संरक्षण, गवर्नेन्स और प्रबन्धन के क्षेत्र में नवाचार कौशल (Innovative Skills) के विकास के कार्यक्रम, उनके विचारों को सम्बन्धित सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं तक पहुँचाने एवं विद्यार्थियों की सहभागिता के अवसर प्रदान कराने आदि के लिए कार्यक्रमों की रचना और व्यवस्था करने पर विचार करना। **नवाचार प्रकोष्ठ**

निर्णय **नवाचार कौशल के विकास के कार्यक्रमों की रचना और व्यवस्था करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।**

मद सं.29 विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों की अन्तिम वर्ष की समस्त परीक्षाओं में जो छात्र प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को छात्रों एवं अन्य के अवलोकनार्थ विश्वविद्यालय पुस्तकालय में संरक्षित रखे जाने पर विचार करना। **गोपनीय**

निर्णय **उक्त मद पर विचार अगली बैठक में किए जाने हेतु स्थगित किया।**

मद सं.30 विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में प्रविष्ठ विद्यार्थियों द्वारा जिस वर्ष में परीक्षा दी गई है, उसी वर्ष में परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् विद्यार्थी के आवेदन पर चाही गई उत्तर पुस्तिका की फोटो प्रति उपलब्ध कराने पर विचार करना। **गोपनीय**

निर्णय **उक्त मद पर विचार अगली बैठक में किए जाने हेतु स्थगित किया।**

मद सं.31 विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों में बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पाठ्यक्रम, बैचलर ऑफ क़म्प्यूटर एप्लीकेशन, पी.जी.डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन आदि पाठ्यक्रमों में सैमेस्टर प्रणाली लागू किए जाने की सम्भावनाओं और व्यावहारिकता के लिए समिति के गठन पर विचार करना। **परीक्षा**

निर्णय **निम्नांकित समिति का गठन किया गया :**

प्रो. एस.के. माहना, विभागाध्यक्ष (वनस्पति शास्त्र)- संयोजक

प्रो. एस.एन. सिंह, विभागाध्यक्ष (इतिहास)

श्री शेरसिंह दौचाणिया, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर

डॉ. नीरज भार्गव, विभागाध्यक्ष (कम्प्यूटर अनुप्रयोग)

मद सं.32 विश्वविद्यालय परिसर में एम.फिल.-संस्कृत पाठ्यक्रम सत्र 2008-09 में पुनः संचालित किए जाने की सम्भावनाओं पर विचार करना। **शैक्षणिक**

निर्णय **कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**

मद सं.33 ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में परामर्श प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय परामर्श नियम (Rules for consultancy) प्रवृत्त किए जाने पर विचार करना। **वित्त एवं लेखा**

निर्णय **निर्णय किया कि, परिशिष्ठ-IV के अनुसार विश्वविद्यालय परामर्श नियम प्रवृत्त करने हेतु प्रबन्ध बोर्ड को प्रस्तुत कर दिए जाएँ।**

अन्त में अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक का समापन हुआ।

कुलपति **कुलसचिव**

अध्यादेश 256 में ()उपर्युक्तानुसार कार्यवाही की जाए। यदि ऐसा कोई प्रकरण हुआ है तो उस छात्र की उस प्रश्नपत्र की पूरक परीक्षा में प्रविष्ठि निरस्त कर दी जाए जिस प्रश्नपत्र की मुख्य परीक्षा में वह छात्र उत्तीर्ण था और उसके प्राप्तांक 48 प्रतिशत से अधिक थे। भविष्य में इस प्रावधान के विपरीत अनुमति नहीं दी जाए।

निर्णय किया कि, परीक्षा नियन्त्रक यह आश्वस्त कर लें कि अध्यादेश 256-0(8) प्रभावशील है अथवा प्रकरण अध्यादेश 256C में निष्पादनीय है। यदि कोई छात्र एलएल.बी. प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष की पूरक परीक्षा में उस प्रश्नपत्र में प्रविष्ठ हुआ हो, जिस प्रश्नपत्र की मुख्य परीक्षा में वह छात्र उत्तीर्ण था और उसके प्राप्तांक 48 प्रतिशत से अधिक थे, तो छात्र की प्रार्थना पर विचार करके छात्र की पूरक परीक्षा की उस प्रविष्ठि को निरस्त करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया। तद्नुसार, भविष्य के लिए अध्यादेश 256 C(1) में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे।

प्रिय श्री

आपके अर्द्धशासकीय पत्र क्र निस/पशास/उशिपवि/2008/208 दिनांक 11.9.2008 को सन्दर्भ में सहर्ष सूचनार्थ लेख है कि अजमेर में महर्षि द वि में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग खोला जाकर इसका नामकरण पूर्व स्वतंत्रता सेनानी एवं मूर्धन्य पत्रकार स्व. कप्तान दुर्गाप्रसाद के नाम पर करने की माननीया मुख्यमंत्री की घोषणा के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् ने जो निर्णय किया है, वह अग्रानुसार है : राज्य स्तरीय गणतन्त्र दिवस समारोह के अजमेर में आयोजन के अवसर पर दैनिक नवज्योति समाचार-पत्र द्वारा *''महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में कप्तान दुर्गाप्रसाद चौधरी के नाम से पत्रकारिता शोध पीठ की स्थापना अथवा विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग का नामकरण कप्तान दुर्गाप्रसाद चौधरी पत्रकारिता संस्थान के नाम के रूप में करने''* के अनुरोध पर माननीया मुख्यमंत्री महोदया की घोषणा पर समयबद्ध अमल करने हेतु माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार गठित परामर्शदात्री समिति की दिनांक 19 फरवरी, 2008 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसाओं पर विचार करना।

निर्णय किया कि, विश्वविद्यालय के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग का नाम 'कप्तान दुर्गाप्रसाद चौधरी पत्रकारिता संस्थान' कर दिया जाए। कार्यसूची के परिशिष्ट-XI पर प्रस्तुत समिति की संस्तुतियों में से संस्तुति संख्या 8 को छोड़कर शेष संस्तुतियों को स्वीकार किया।

भवन्निष्ठ,

कुलपति